समाचार पत्रों की कतरनें
मार्च, 2026

दैनिक भास्कर, दिनांक –8 मार्च 2026
पेज न0–3, कालम–1,2,3,4

सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव–2026 • देशभर से प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा विषय पर प्रस्तुत की रचनात्मक लघु फिल्में

जिम्मेदार कौन' लघु फिल्म को सड़क सुरक्षा महोत्सव में मिला स्पेशल अवॉर्ड

भास्कर न्यूज | लुधियाना

हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल द्वारा आयोजित 'सड़क सुरक्षा फिल्म महोत्सव–2026' में पंजाब की रीना और दमनप्रीत कौर द्वारा बनाई गई लघु फिल्म 'जिम्मेदार कौन' को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कार स्वरूप पांच हजार रुपये की राशि भी प्रदान की गई। इस फिल्म प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक माध्यमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग और नशे में वाहन चलाने के खिलाफ संदेश देना था। महोत्सव में देशभर से प्रतिभागियों ने भाग लिया और सड़क सुरक्षा विषय पर अपनी लघु फिल्में प्रस्तुत कीं। शानदार प्रदर्शन करने वाले चौबीस प्रतिभागियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। सभी विजेताओं को परिवहन विभाग की लीड एजेंसी रोड सेफ्टी सेल द्वारा आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के सहयोग से डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में आयोजित राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला के दौरान सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने की।

ONE DAY STATE LEVEL WORKSHC
(ORGANISED BY LEAD AGENCY : ROAD SAFETY CELL OF TRANSPORT

लघु फिल्म के माध्यम से दिखाई लापरवाही के दुष्परिणाम

इस अवसर पर निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा को केवल नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसके प्रति हर नागरिक को जागरूक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर लोग यातायात नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से वाहन चलाएं तो कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से फरवरी 2026 में ऑनलाइन माध्यम से 'सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव' का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने भाग लेकर सड़क सुरक्षा विषय पर अपनी लघु फिल्में प्रस्तुत कीं। फिल्म की निर्देशिका रीना और निर्माता दमनप्रीत कौर ने बताया कि उन्होंने लगभग एक मिनट उनसठ सेकेंड की इस लघु फिल्म के माध्यम से ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाने और नशे में ड्राइविंग जैसे खतरनाक व्यवहार के दुष्परिणामों को दिखाने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि इस फिल्म के जरिए लोगों को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सड़क पर छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उनकी इस पहल को मंच पर सराहा गया और विशेष पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया।

जनमार्ग न्यूज, दिनांक 8 मार्च 2026
पेज न0–4, कालम–1

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ही नहीं, जन-जागरूकता भी जरूरी: नीरज कुमार

शिमला (जगमार्ग न्यूज)। परिवहन विभाग की लीड एजेंसी 'रोड सेफ्टी सेल' द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से शनिवार को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में एक राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन निदेशक नीरज कुमार ने की। निदेशक नीरज कुमार ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे प्रत्येक नागरिक के स्वभाव और जागरूकता का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षित सफर किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवहन विभाग द्वारा फरवरी 2026 में आयोजित 'सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव' के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को जागरूक किया गया था। कार्यशाला के दौरान महोत्सव में चयनित लघु फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यशाला में आईआईटी मद्रास की टीम ने सड़क सुरक्षा के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर जानकारी साझा की। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सुरक्षित सड़कों के लिए नए नवाचारों, रणनीतियों और फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के लिए सड़क सुरक्षा के 'ड्राफ्ट विजन' पर भी विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त परिवहन (लीड एजेंसी रोड सेफ्टी) एस.डी. नेगी, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर वेंकटेश बालासुब्रमण्यम, परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक– 8मार्च 2026
पेज न0–3, कालम–1

सड़क सुरक्षा एक व्यक्ति नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी

शिमला। परिवहन विभाग के रोड सेफ्टी सेल द्वारा आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के सहयोग से डाक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने की। इस अवसर पर नीरज कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा को केवल नियमों का पालन करने तक सीमित न रख कर इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जाना नितांत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 24 प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त आयुक्त परिवहन लीड एजेंसी रोड सेफ्टी एस.डी. नेगी, सीओईआरएस आईआईटी मद्रास के प्रमुख प्रो. वेंकटेश बालासुब्रमणियम, आईआईटी मद्रास के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में उपस्थित थे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 11 मार्च 2026
पेज न0–05, कालम–4,5,6

ऊना में स्कूल बसों-वैन की होगी व्यापक जांच

छात्रा की मौत के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

सोमवार दोपहर रैंसरी में स्कूल बस की चपेट में आने से एलकेजी कक्षा की छात्रा की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला प्रशासन ऊना ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों के संचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, जिले में संचालित सभी स्कूल बसों और वैन संचालकों को परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। यह आदेश जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना जतिन लाल द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा तथा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत जारी किए गए हैं। डीसी ने बताया कि सभी स्कूल बसों और वैन में वैध फिटनेस प्रमाणपत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज

▮ नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

अनिवार्य रूप से होने चाहिए। निरीक्षण के दौरान इन दस्तावेजों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। प्रत्येक स्कूल वाहन के लिए प्रशिक्षित चालक का होना भी अनिवार्य है, जिसके पास परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त स्कूली बच्चों को ले जाते समय वाहन में सहायक अथवा परिचालक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करनी होगी। उपायुक्त ने बताया कि सभी स्कूल बसों और वैन में अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स, आपातकालीन निकास, सुचारू रूप से कार्य करने वाले दरवाजे, उचित बैठने की व्यवस्था तथा स्पीड गवर्नर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना अनिवार्य है। साथ ही वाहनों की गति निर्धारित सीमा के भीतर रखी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को ओवरलोड करके ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

15 दिनों के अंदर स्कूल बसों व वाहनों की जांच कर डीसी ऑफिस में दें रिपोर्ट

उपायुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ऊना तथा जिले के सभी उपमंडलाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिए हैं कि वे अगले 15 दिनों के भीतर विशेष निरीक्षण एवं परिवर्तन अभियान चलाकर स्कूल बसों और वैन की जांच सुनिश्चित करें तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को प्रस्तुत करें। यदि कोई स्कूल बस या वैन निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है तो उसके विरुद्ध चालान, वाहन जब्ती अथवा संचालन पर रोक जैसी कार्रवाई की जा सकती है तथा संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों के आसपास तथा प्रमुख मार्गों पर नियमित जांच अभियान चलाकर सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें। उपायुक्त ने सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे इन सुरक्षा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

अमर उजाला, दिनांक 12 मार्च 2026
पेज न0–01, कालम–5,6,7

एसीएस को एसटीए, परिवहन निदेशक को आरटीए अध्यक्ष के पद से हटाने के आदेश

हाईकोर्ट के सरकार को 31 मार्च तक एसटीए-आरटीए का पुनर्गठन करने के आदेश

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) और परिवहन निदेशक को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के अध्यक्ष पद से तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने 29 मई 2023 को जारी उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत इन नियुक्तियों को वैध बताया गया था।

अदालत ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इन पदों पर काम नहीं करने का आदेश दिया है। अदालत ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 31 मार्च तक एसटीए और आरटीए का पुनर्गठन कानून के अनुसार कर पात्र व निष्पक्ष व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाए। नई नियुक्तियों तक प्राधिकरण के अन्य सदस्य केवल रोजमर्रा के जरूरी काम करेंगे, लेकिन वे रूट परमिट देने या नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखेंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन अधिकारियों की ओर से अब तक चेयरमैन के रूप में लिए गए

अधिसूचना की रद्द, कहा- दोनों अफसर एचआरटीसी की बीओडी में पदेन सदस्य

फैसले भी अवैध नहीं माने जाएंगे, ताकि प्रशासनिक अव्यवस्था न फैले। हालांकि, फैसलों को कानून के दायरे में अन्य आधार पर चुनौती दे सकते हैं।

अदालत ने पाया कि ये दोनों अधिकारी हिमाचल पथ परिवहन निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) में पदेन सदस्य हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 68(2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसका किसी परिवहन उपक्रम (जैसे एचआरटीसी) में वित्तीय हित हो, वह निष्पक्षता के लिए एसटीए या आरटीए का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता।

अदालत ने माना कि एचआरटीसी के निदेशक के रूप में इन अधिकारियों का संस्थान के वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही से सीधा संबंध है, जो उन्हें

कहा- यह निजी ऑपरेटरों के अधिकारों का उल्लंघन

खंडपीठ ने कहा कि परिवहन प्राधिकरणों को निष्पक्ष होना चाहिए। खंडपीठ ने यह टिप्पणी की कि यदि सरकारी उपक्रम चलाने वाले अधिकारी ही रूट परमिट देने या निजी ऑपरेटरों पर कार्रवाई करने वाली संस्था के अध्यक्ष होंगे, तो पक्षपात होने से इन्कार नहीं कर सकते। यह निजी ऑपरेटरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

इस पद के लिए अयोग्य बनाता है। याचिकाकर्ता आनंद मोदगिल ने 29 मई 2023 की उस सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसके तहत परिवहन सचिव को एसटीए और परिवहन निदेशक को प्रदेश के सभी आरटीए का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। चूंकि, एचआरटीसी एक सरकारी उपक्रम है और निजी ऑपरेटरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, इसलिए इन अफसरों का राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का अध्यक्ष होना कानूनन गलत है। संवाद >> कठिन क्षेत्रों में काम कर चुके शिक्षकों का स्थानांतरण सरकार की जिम्मेदारी : हाईकोर्ट... भीतर

हिमाचल दस्तक, दिनांक 13 मार्च 2026

पेज न0–10, कालम–4,5,6,7

पुलिस ने बसों के दस्तावेज, फिटनेस और सुरक्षा उपकरणों की जांच कर दिए सख्त निर्देश

अब सड़क नहीं स्कूलों में भी हो रही बसों की जांच

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

जिला ऊना में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल बसों की विशेष जांच शुरू कर दी है। हाल ही में जिला मुख्यालय स्थित माउंट कार्मल स्कूल की एक छात्रा की अपनी ही स्कूल बस के नीचे आने से हुई दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

इसी के चलते अब केवल सड़कों पर ही नहीं बल्कि सीधे स्कूल परिसरों में जाकर भी बसों की जांच की जा रही है ताकि विद्यार्थियों के परिवहन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों में सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। पुलिस द्वारा बसों के दस्तावेज, फिटनेस, चालक के लाइसेंस, फर्स्ट ऐड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य जरूरी सुरक्षा प्रबंधों की गहन जांच की जा रही है। जांच के दौरान कई वाहनों में नियमों की अनदेखी भी सामने आई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालान काटे हैं और बस चालकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस द्वारा अब तक कुल 154 बसों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 20 वाहन ऐसे पाए गए, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इस पर संबंधित चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान किए गए। इसके अलावा बस चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधीक्षक ऊना सचिन हिरेमठ ने बताया कि इस मामले को लेकर पुलिस सघन अभियान चला रही है और नियमों के उल्लंघन की किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिले के दूरदराज के स्कूलों में भी पहुंचकर बसों की जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाहरी जिलों और अन्य राज्यों से आने वाले शैक्षणिक संस्थानों की बसों को भी इस अभियान के तहत चेक किया जाएगा, ताकि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो।

डिप्टी डायरेक्टर नीलम कुमारी ने परीक्षा केंद्र का किया औचक निरीक्षण

दौलतपुर चौक। पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दौलतपुर चौक में स्थापित बोर्ड परीक्षा केंद्र का जिला ऊना की डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी कंट्रोल नीलम कुमारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परीक्षा कक्षों में बैठने की व्यवस्था, प्रश्नपत्र वितरण प्रक्रिया तथा परीक्षा संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी जांची। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों व गैर शिक्षकों को निर्देश दिए कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

अमर उजाला, दिनांक 14 मार्च 2026

पेज न0–06, कालम–1,2

जिले में 42 सड़क हादसों में 19 लोगों ने गंवाई जान

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। जिला शिमला में इस साल 42 सड़क दुर्घटनाओं में 19 लोगों की मौत हो गई है। इन हादसों में 11 लोग खुद ही गाड़ी चला रहे थे। चिंता की बात यह है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की शुक्रवार का आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने की। उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यह डाटा चिंताजनक है।

सड़क हादसों से बचने के लिए चालकों को ओवरस्पीड, शराब के नशे में और ओवरटेकिंग करने से बचना चाहिए। ऐसा करके हम अपनी और दूसरे की जिंदगी को भी खतरे में डालने से बचा सकते हैं। अनुपम कश्यप ने कहा कि आपदा मित्रों को भी सड़क सुरक्षा के कार्य में सेवाएं ली जाएं। इनके मोबाइल नंबर और पते सहित अन्य जानकारियां पुलिस और परिवहन विभाग के साथ साझा की जाएं। इससे सड़क दुर्घटना के समय आपदा मित्रों की मदद ली जा सकेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विश्व देव

चालकों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह

मोहन चौहान ने बताया कि जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से गठित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समिति है।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाकर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे में वाहन न चलाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

जिला भर में सड़क सुरक्षा को लेकर समिति निरंतर कार्य कर रही है। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पंकज शर्मा, डीएसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

* * *